

-:: अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र ::-

आज दिनांक 14.09.2021 को प्रधानाचार्य स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल देवगढ के प्रार्थना पत्र क्रमांक 284 दिनांक 13.09.2021 के अनुसार उक्त विद्यालय का 13.09.2021 को निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य के वार्ता के दौरान 6 माह में विद्यालय परिसर में Hose Reel व स्पीकलर लगाने के निर्देश प्रदान किये गये एवं उक्त दिनांक को प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था Fire Extinguisher (Fire Sefety) सही पाये जाने के कारण निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुये Fire Sefety के लिए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (N.O.C.) जारी किया जाता है :-

निर्देश :-

1. विद्यालय के समस्त स्टाफ को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना आवश्यक होगा, जिसका रिकार्ड संधारण किया जायेगा।
2. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रिफिलिंग करवाना होगा।
3. निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
4. यह प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से एक वर्ष तक वैध होगा।
5. किसी भी समय निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं पाये जाने पर उसे निरस्त करने का अधिकार उक्त अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित होगा।

(2009)
अधिसापणी अधिकारी
नगरपालिका देवगढ
जिला-राजसमन्द